

॥ १॥ पञ्जावली पेश हुमा । वाडी क वरीन वाडी
अनुपस्थित । बार-बार आवान्द दिनावापी
जाने पर भी वाडी की ओर से कोई
उपस्थित नहीं । अतः दावा वाडी अदालत हाजरी
अदालत पेशी में खारीज किया जाता है ।
पञ्जावली पेशना सुना होना नकार से वक्त
दोष दावा दाखिल है ।

२

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)